

Tel. No. 0141-2850218

Page 1 of 6

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर
E-mail - Janadhaar.des@rajasthan.gov.in Tel. No. 0141-2850218

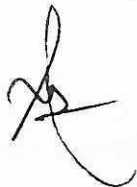
फोटो स्टेट एवं स्पाईरल बाईंडिंग कार्य हेतु बोली की शर्तें :-

1. बोलीदाता द्वारा आयकर विभाग का पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है, जिसके अभाव में बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. बोली दस्तावेज नियत दिनांक व समय तक उपापन समिति के अध्यक्ष कार्यालय के कमरा संख्या 317 में जमा करवाया जाना आवश्यक है।
3. बोली के साथ अनुमानित लागत का 2 प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र का शुल्क का डीडी/बैंकर चैक जो निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जयपुर के नाम देय होगा जमा कराना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. सफल बोलीदाता को 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी, उसकी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी। सफल बोलीदाता को निर्धारित प्रपत्र में स्वीकृति जारी होने के तिथि से सात दिवस में नियमानुसार 500 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. बोली प्रपत्र एवं शर्तें कार्यालय से निर्धारित दिनांक व समय तक रु. 200/- का डी. डी. जमा कराकर प्राप्त की जा सकती है अथवा राज्य लोक उपापन पोर्टल <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in> से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये जाने की दशा में बोली प्रपत्र शुल्क का डी.डी. बोली प्रपत्र के साथ कार्यालय में जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
6. प्राप्त बोली दस्तावेज नियत दिनांक व समय पर क्रय समिति द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
7. दर्शायी गई दरें अनुबन्ध की दिनांक से 31 मार्च 2023 तक के लिए वैध होंगी। इसके आगे दरें परस्पर सहमति से राज्य लोक उपापन नियमों के अन्तर्गत ही बढ़ाई जा सकेंगी।
8. किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार टी.डी.एस.की राशि काटी जावेगी।
9. बोली प्रारूप पूर्णरूपेण सही एवं स्पष्ट रूप से भरा जाना आवश्यक है। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा। शर्त रहित बिड ही स्वीकार होगी।
10. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं या अपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए।



एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर कर सील (फर्म की) किए जाने चाहिए। अंको एवं शब्दों में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित राशि मान्य होगी।

11. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने किये जाने वाले कार्य को अच्छी तरह समझ लिया है। किये जाने वाले कार्य के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
12. बोलीदाता अपनी दरसंविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
13. यदि कार्य क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।
14. भुगतान :—
भुगतान, कार्य के उपरान्त बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल एवं कार्य करने की अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त स्लीप प्रस्तुत करने पर किया जाएगा
15. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
16. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने या बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा तथा न्यूनतम दर को स्वीकार कराना बाध्यकारी नहीं होगा।
17. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
18. बोलीदाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
19. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 का ज्ञान एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के नियम/शर्तों एवं बोली प्रपत्र में भिन्नता होने पर आरटीपीपी नियम एवं शर्तें मान्य होंगे।
20. बोलीदाता को दरें संलग्न दर प्रपत्र में प्रस्तुत की जानी है।
21. बोली में संशोधन बोली जारी करने के उपरान्त <http://sppp.rajasthan.gov.in> तथा <https://janaadhaar.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर ही किये जायेंगे।



- बोलीदाताओं द्वारा वेबसाईट पर संशोधन/स्पष्टीकरण को प्राप्त नहीं करने के सम्बन्ध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
22. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा। पेंसिल से भरी बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
23. बोली में दी गई कुल दर (दर +GST) के अलावा अन्य कोई प्रभार देय नहीं होगा।
24. कार्य आदेश स्लीप के अनुसार फोटो स्टेट एवं स्पाईरल बाईडिंग का कार्य करना होगा।
25. बिल प्रति माह अगले माह की 05 तारीख तक दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होने पर बिल का भुगतान किया जावेगा।
26. बोली केवल कार्यालय द्वारा जारी प्रपत्र पर ही मान्य होगी।
27. बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव एवं पदेन अतिरिक्त महानिदेशक, रा.ज.आ.प्रा. जयपुर के पास सुरक्षित होंगे और उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
28. बोली खोलने के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नेगोशियेशन किया जा सकता है।
29. अनुमोदित फर्म को समय-समय पर क्रय आदेशों को प्राप्त कर आदेशित कार्य की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
30. सुपुर्दगी अवधि :- बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की जाएगी, वह कार्य आदेश की तारीख से आदेशानुसार आवश्यकता होने पर अविलम्ब अथवा अधिकतम दो दिवस में आपूर्ति करनी होगी।
31. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं GF&AR के सभी आवश्यक प्रावधान इस बोली के भाग होंगे।
32. मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है एवं उल्लेखित सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)



राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर
E-mail - Janadhaar.des@rajasthan.gov.in Tel. No. 0141-2850218

बोलीदाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन सामग्री/कार्य के लिए बोली दी है, उनके/उनका/मैं/हम थोक विक्रेता/वितरक/विपणन एजेंट/सेवाप्रदाता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/है कि हमारी फर्म को अथवा हमारी फर्म की किसी भी सामग्री/कार्य को पूर्व में किसी विभाग/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं किया गया है। उक्त घोषणा पूर्ण सत्य एवं सही है।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/है कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य है। यदि असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी जमा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

दिनांक

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)



राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण,
योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर
E-mail - Janadhaar.des@rajasthan.gov.in Tel. No. 0141-2850218

वित्तीय बोली प्रपत्र

फोटो स्टेट एवं स्पाईरल बाईडिंग कार्य की दरें

फर्म का नाम मय पता.....

मोबाईल नम्बर ई-मेल आईडी

क्र.स.	कार्य का विवरण	दर प्रति पृष्ठ/स्पाईरल बाईडिंग, जीएसटी सहित कार्य के आगे अंकित करें। (रुपये में)			Remarks
1	2	3	4 (अंको में)	5 (शब्दों में)	6
फोटो कॉपी					
1.	ए-4 साईज	एक तरफ			
		दो तरफ			
2.	ए-3 साईज	एक तरफ			
		दो तरफ			
3.	एफ एस साईज (लीगल)	एक तरफ			
		दो तरफ			
4.	रंगीन ए-4 साईज	एक तरफ			
		दो तरफ			
5.	रंगीन ए-3 साईज	एक तरफ			
		दो तरफ			
6.	रंगीन एफ एस साईज	एक तरफ			
		दो तरफ			
स्पाईरल बाईडिंग					
1.	100 पेज तक ए-4 साईज				
2.	100-200 पेज तक ए-4 साईज				
3.	100 पेज तक एफ एस साईज				
4.	100-200 पेज तक एफ एस साईज				

दिनांक



बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय पूर्ण नाम व पता
(सील सहित)